महत्वपूर्ण
संख्या-27 / 1612 /नौ-9-21-14ज/21

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **नगर आयुक्त,**नगर निगम अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 16 अगस्त, 2023**

विषय-जनपद-अयोध्या में नगर निगम कार्यालय एवं विकास प्राधिकरण के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/दस-2019, दिनांक-13.12.2019 एवं संख्या-24/2020/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019, दिनांक-07.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 50.00 करोड़ रू0 से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई0पी0सी0 मोड में कराये जाने हेतु पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नीति निर्धारित की गयी है। उल्लेखनीय है कि मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जनपद-अयोध्या में नगर निगम अयोध्या के कार्यालय भवन एवं विकास प्राधिकरण भवन निर्माण हेतु कुल रू0 13358.33 लाख का आगणन/डी0पी0आर0 गठित कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त आगणन/डी0पी0आर0 का परीक्षण व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-15.06.2023 में किया गया। व्यय वित्त समिति द्वारा उक्त कार्ययोजना हेतु रू0 11990.51 लाख की लागत आंकलित की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-46/नौ-9-21-14ज/21 दिनांक- 05.01.2022 को निरस्त करते हुये व्यय वित्त समिति द्वारा उक्त कार्ययोजना के सापेक्ष नगर निगम अयोध्या के कार्यालय भवन एवं विकास प्राधिकरण भवन निर्माण हेतु आंकलित की गयी धनराशि **रू0 11990.51 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 2997.6275 लाख (रू0 उनतीस करोड़ सत्तानबे लाख बासठ हजार सात सौ पचास मात्र)** मा0 राज्यपाल महोदया निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. उक्त धनराशि नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या को अंतरित की जायेगी। नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या द्वारा उक्त धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को हस्तांरित की जायेगी।

2. प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रु0 50.00 करोड़ से अधिक है। अतः "वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/दस-2019, दिनांक-13.12.2019 के अनुसार ई०पी०सी० मोड द्वारा कराया जाना होगा। अतः नगर निगम /विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था/नियोजन विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में ई०पी०सी० मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. नगर निगम, अयोध्या/विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

4. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

5. प्रायोजनान्तर्गत ए०वी०/कान्फ्रेन्स सिस्टम (रु० 91.11 लाख) एवं फर्नीचर (रू0 344.51 लाख) प्रस्तावित किया गया है, जिसे अनुमन्य नहीं किया गया है। इसकी आवश्यकता, औचित्य,

स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त कार्यवाही नगर निगम, अयोध्या/विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा की जाये।

6. प्रायोजनान्तर्गत एकास्टिक वाल पैनेलिंग 1154.58 व0 मी0 लागत 77.93 लाख, वी०आर०बी०/वी०आर०एफ० सिस्टम लागत रु 403.72 लाख व म्यूरल्स लागत रू0 45.10 लाख उच्च विशिष्टियों के अन्तर्गत आती है, जिस पर शासनादेश सं०-177/2023/1184 ई0/23-11-2023-773ई0/2023, दिनांक 08 जून 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन दिनांक-08.08.2023 को प्राप्त कर लिया गया है।

7. प्रायोजनान्तर्गत सी०सी०टी०वी० सोलर सिस्टम, डी०जी० सेट, यू०पी०एस० व लिफ्ट की लागत को इंडीकेटिव दरे मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरे प्राप्त करें। नगर निगम, अयोध्या/विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

8. प्रायोजनान्तर्गत वाहय विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू0 250.35 लाख के सापेक्ष रू0 150.00 लाख अनुमन्य किया गया है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से वास्तविकता के आधार पर विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

9. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप नियोजन विभाग/नगर आयुक्त/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाये।

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, अयोध्या का होगा।

11. प्रायोजना की लागत का अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

12. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लिखित परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था/नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

14. स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जाये, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व नगर निगम/विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

15. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत मितव्यतता से सम्बन्धित शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

17. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/ समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये। विद्युत कार्यों के लिए शासनादेश संख्या-1338/9-9-14-84ज/14, दिनांक-19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015 दिनांक-20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

18. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

20. उक्त शासनादेश में उल्लिखित वित्तीय नियमों का पालन करने का दायित्व संबंधित वित्त नियन्त्रक/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी का होगा। नियोजन विभाग को उक्त धनराशि, उनकी आवश्कयतानुसार ही आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जायेगा।

3. उक्त धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति संख्या-60, 61 एवं 62 एवं उक्त संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नगर निगम, अयोध्या के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को नगरीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राज्य वित्त आयोग की धनराशि से अधिकतम धनराशि रू0 50.00 करोड़ तक उपलब्ध करायी जायेगी। कायर्दायी संस्था को आवश्यकतानुसार आगामी किश्तों की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी0-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में निर्धारित व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

4. राज्य वित्त आयोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली रू0 50 करोड़ की धनराशि के पश्चात् परियोजना की शेष लागत का वहन नगर निगम, अयोध्या एवं विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से आधा-आधा किया जायेगा। नियोजन विभाग/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा उक्त कार्ययोजना की प्रगति का निरन्तर अनुश्रवण/पर्यवेक्षण किया जायेगा।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-61 के लेखाशीर्षक "वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) का आवंटन-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज्य संस्थाओ का क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (आयोजनेत्तर मतदेय) 191-नगर निगमों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन" के नामे डाला जाएगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-9-142-X-2023-24, दिनांक- 16 अगस्त, 2023 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णयों के क्रम में तत्काल अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/लोक निर्माण विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
10. कोषाधिकारी, अयोध्या।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1/2
12. गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)

अनु सचिव।